

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 () लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/2292

दिनांक 19/3/12

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य आयोजना मद) में वर्ष 2011-12 समर्पित बजट आनलाईन करने बाबत।

प्रसंग:- संयुक्त निदेश (दे.यो.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक 13136-321 दिनांक 27.02.2012 तथा पत्रांक 16733-34 दिनांक 05.03.2012 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक क्रम में लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य आयोजना मद) हेतु आपको बजट आवंटित किया गया है। आवंटित बजट राशि से खर्चा उपरान्त शेष बचत राशि को उनके ऑफिस आई.डी. 6341 में आनलाईन समर्पित की जानी है। उन्होंने अवगत कराया है कि कुछ कॉलेजों द्वारा बचत राशि पत्र द्वारा लौटायी जा रही है जो सही कार्यवाही/ प्रक्रिया में नहीं है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं जिन्होंने पत्रों द्वारा राशि समर्पित की है।

1. प्राचार्य, राज. महा., देवली, टॉक IFMS-15927 राशि रुपये 17360/-
2. प्राचार्य, राज. महा., गोविन्दगढ़, अलवर IFMS-262 राशि रुपये 53226/-
3. प्राचार्य, एस.बी.डी.राज. महा., सरदारशहर, चूरु IFMS-292 राशि रुपये 8557/-
4. प्राचार्य, राज. कन्या महा., झालावाड़ IFMS-305 राशि रुपये 31000/-
5. प्राचार्य, राज. महा., मालपुरा, टॉक IFMS- ---- राशि रुपये 18702/-
6. प्राचार्य, राज. कमलामोदी महिला महा., नीमकाथाना (सीकर) IFMS-311 राशि रुपये 38805/-

अतः उल्लेखित महाविद्यालयों सहित सभी प्राचार्य महाविद्यालय बचत राशियों को आनलाईन समर्पित करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

निदेशक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

2293-2296

क्रमांक एफ 23 () लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो./ 2011-12/

दिनांक 19/3/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (छात्र.) कॉलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक (दे.यो.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी. 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर।

आ इच्छा है कि आनलाईन करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक:- क्रमांक:- एफ 11(164) देव.यो./विपिव पू.मै.छा./बजट/सान्याअवि/11-12/

दिनांक:-

5/23/2012

16733-34

1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकूल जयपुर।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर।

विषय:- देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य आयोजना मद) में वर्ष 2011-12 समर्पित ईन ऑनलाईन करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ संचालित राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालयों को इस विभाग द्वारा देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 में विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु समय-समय पर संलग्न सूची के अनुसार बजट आवंटित किया गया है। विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालयों को आवंटित बजट के विरुद्ध समर्पित बजट को विभाग के **आफिस आई. डी. 6341 में आनलाईन समर्पित** करने हेतु पत्र लिखा जा चुका है, परन्तु अभी तक समर्पित की जाने वाली राशि समर्पित नहीं की गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 समाप्ति की ओर है। कृपया राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालयों एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा बजट की मांग की जा रही है।

अतः निम्न बजट मद में आपके अधीनस्थ संचालित राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालयों के द्वारा अनुपयोग बजट राशि **आफिस आई. डी. 6341 में आनलाईन समर्पित** करने की कार्यवाही करावें, ताकि योजना में प्रावधान राशि का पूर्ण एवं समुचित उपयोग किया जा सके।

बजट मद

मांग संख्या - 33

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
03-पिछड़े वर्गों का कल्याण
196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
(05)-देवनारायण योजना(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)
[02]-विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
13- छात्रवृत्ति और वजीफा (आयोजना)

संलग्न:-उपरोक्तानुसार (आवंटित बजट की सूची)

संयुक्त निदेशक
(दे.यो.)